

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 342]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 जून 2026 — आषाढ़ 2, शक 1948

सामान्य प्रशासन विभाग
(नियम शाखा)

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक RULE/297/2025-GAD-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक एवं छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, राज्य शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले निम्नलिखित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करते हैं, अर्थात्:-

समूह-1, तृतीय श्रेणी (अभियांत्रिकी सेवा)

स.क्र. (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (3)	रिमार्क (4)
1.	उप अभियंता (सिविल)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी.ई./बी.टेक डिग्री।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकायवार पाठ्यक्रम परीक्षा अयोजित होगी।
2.	उप अभियंता (विद्युत)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी.ई./बी.टेक डिग्री।	
3.	उप अभियंता (यांत्रिकी)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी.ई./बी.टेक डिग्री।	
4.	उप अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी.ई./बी.टेक डिग्री।	
5.	उप अभियंता (कम्प्यूटर साईंस/आई.टी.)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर साईंस/आई.टी. इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी.ई./बी.टेक डिग्री/एम.ई. एम.टेक/एम.सी.ए।	
6.	उप अभियंता (माइनिंग)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से माइनिंग इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी.ई./बी.टेक डिग्री।	

समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर)

उप समूह-01

स.क्र. (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (3)	रिमार्क (4)
1.	सहायक प्रबंधक (उद्योग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, विभागीय भर्ती नियम में यथानिर्धारित विषय में स्नातक उत्तीर्ण।	अनिवार्य (कॉमन) परीक्षा आयोजित होगी।
2.	सहायक श्रम		

	पदाधिकारी		
3.	श्रम निरीक्षक		
4.	श्रम उप निरीक्षक		
5.	सहायक विकास विस्तार अधिकारी		
6.	सहकारिता निरीक्षक		
7.	खाद्य निरीक्षक		
8.	मण्डी निरीक्षक		
9.	पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर महिला एवं बाल विकास)		
10.	खेल अधिकारी		
11.	फिल्ड इन्वेटीगेटर (हस्तशिल्प)		
12.	सूचना सहायक		
13.	वार्डन		
14.	स्टोर कीपर		
15.	अन्य समकक्ष पद		

उप समूह-02

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शीघ्रलेखक	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा। (2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आई.टी.आई.) या छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से - (क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए- हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति। (ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए- अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति। (ग) द्विभाषी- शीघ्रलेखक के लिए- ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति। (3) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। (4) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) मुद्रलेखन गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र।	अनिवार्य (कॉमन) परीक्षा आयोजित की जाएगी।

2.	डाटा एंट्री ऑपरेटर/ कम्प्यूटर ऑपरेटर	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। (3) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र।	
3.	स्टेनो टायपिस्ट	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा। (2) हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति। (3) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। (4) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र।	
4.	सहायक ग्रेड-3/ कनिष्ठ सचिवालय सहायक/कनिष्ठ सहायक /पंजीयन लिपिक	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। (3) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति का प्रमाण पत्र।	

उप समूह-03

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केमिस्ट	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. रसायन शास्त्र।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकाय विशिष्ट।
2.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, विभागीय भर्ती नियम में यथानिर्धारित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।	

3.	सहायक प्रोग्रामर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम .सी.एस. सूचना/कम्प्यूटर साईस)प्रौद्योगिकीकक्ष या सम .ए.सी.एम/(उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईसटेक या समकक्ष .बी./ई.सूचना प्रौद्योगिकी में बी/उपाधि।	
4.	मत्स्य निरीक्षक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, विभागीय भर्ती नियम में यथानिर्धारित विषय में स्नातक उत्तीर्ण एवं अन्य अर्हताएं।	
5.	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी		
6.	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ		
7.	उप अंकेक्षक, अंकेक्षक, कनिष्ठ लेखापाल, लेखापाल		
8.	सहायक ग्रंथपाल, ग्रंथपाल		
9.	अनुवादक		
10.	निरीक्षक विधिक मापविज्ञान		
11.	तकनीकी सहायक खाद्य, कनिष्ठ तकनीकी सहायक खाद्य		

समूह-3, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी (शैक्षिक सेवा)

उप समूह-01

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सहायक शिक्षक	मान्यता प्राप्त मण्डल से उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	अनिवार्य (कॉमन) परीक्षा आयोजित की जाएगी।

उप समूह-02

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शिक्षक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, विभागीय सेवा भर्ती नियम में यथानिर्धारित विषय में स्नातक एवं अन्य अर्हताएं।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकाय विशिष्ट।
2.	व्याख्याता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, विभागीय सेवा भर्ती नियम में यथानिर्धारित विषय में स्नातकोत्तर एवं अन्य अर्हताएं।	

समूह-4, तृतीय श्रेणी (वर्दीधारी सेवा)

स.क्र. (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (3)	रिमार्क (4)
1.	उप निरीक्षक, सुबेदार, प्लाटून कमाण्डर एवं अन्य समकक्ष पद	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विभागीय भर्ती नियम अनुसार स्नातक की उपाधि, (2) विभागीय भर्ती नियम अनुसार शारीरिक अर्हताएं।	अनिवार्य (कॉमन) पाठ्यक्रम परीक्षा आयोजित होगी।
2.	आरक्षक, परिवहन आरक्षक, आवकारी आरक्षक, जेल प्रहरी, वनरक्षक, नगर सैनिक, फायरमैन एवं अन्य समकक्ष पद	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, (2) विभागीय भर्ती नियम अनुसार शारीरिक अर्हताएं।	

समूह-5, तृतीय श्रेणी (विज्ञान एवं स्वास्थ्य सेवाएं)

स.क्र. (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (3)	रिमार्क (4)
1.	स्टॉफ नर्स	(1) बी.एस.सी. (नर्सिंग) या पी.बी. बी.एससी. नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान (सिनियर मिडवाइफरी) प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये (2) नर्सिंग कौंसिल से परिचारिका के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकाय विशिष्ट।
2.	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण (2) भर्ती नियम में यथाउल्लेखित अन्य अर्हताएं।	
3.	सहायक शिक्षक (विज्ञान/प्रयोगशाला)	मान्यता प्राप्त मण्डल से, विभागीय भर्ती नियम में यथानिर्धारित विषय में हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकाय विशिष्ट।
4.	लैब टेक्निशियन/ प्रयोगशाला तकनीशियन	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से, विभागीय भर्ती नियम में यथानिर्धारित विषय में हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, (2) भर्ती नियम में यथाउल्लेखित अन्य अर्हताएं।	
5.	प्रयोगशाला सहायक (लैब असिस्टेंट/लैब अटेंडेंट/ प्रयोगशाला परिचारक)	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से विज्ञान संकाय (रसायन विज्ञान सहित) में हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।	
6.	फार्मासिस्ट	(1) फार्मसी कौंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण (फार्मसी) में डिप्लोमा, (2) छत्तीसगढ़ फार्मसी कौंसिल से जीवित पंजीयन।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकाय विशिष्ट।

समूह-6, तृतीय श्रेणी (हायर सेकेण्डरी स्तर)

उप समूह-01

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सहायक मानचित्रकार	वास्तुकला में डिप्लोमा अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मानचित्रकला (ड्राफ्टसमेनशीप) में प्रमाण पत्र। अथवा सर्वेयर का व्यवसायिक शिक्षुता प्रमाण-पत्र। अथवा इंडस्ट्रीयल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (3 वर्षीय) प्रमाण-पत्र।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकाय विशिष्ट।
2.	अनुरेखक	ड्राईंग को एक विषय के रूप में लेकर किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) या उसके समकक्ष किसी परीक्षा का प्रमाण पत्र या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था/बोर्ड का प्रमाण पत्र। अथवा छत्तीसगढ़ बोर्ड या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हायर सेकेण्डरी (तकनीकी) परीक्षा का प्रमाणपत्र। अथवा सर्वेयर का व्यवसायिक शिक्षुता प्रमाणपत्र।	
3.	हैण्डपंप तकनीशियन	मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण तथा विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	
4.	इलेक्ट्रिशियन		
5.	फिटर		
6.	वेल्डर		
7.	टर्नर		
8.	एयर कम्प्रेसन चालक		
9.	मेकेनिक (वि.यां.)		
10.	निरीक्षक हाथकरघा	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2)	
11.	सहायक निरीक्षक हाथकरघा	परीक्षा उत्तीर्ण, (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से टेक्सटाईल/बुनाई/हैण्डलूम टेक्नॉलॉजी में 03 वर्षीय डिप्लोमा।	
12.	डीटीपी ऑपरेटर	मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं विभागीय भर्ती नियम अनुसार अन्य अर्हता।	

उप समूह-02

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पटवारी	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) पाठ्यक्रम परीक्षा आयोजित

2.	अमीन	मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं विभागीय भर्ती नियम अनुसार अन्य अर्हता।	होगी।
3.	छात्रावास अधीक्षक	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा।	

समूह-7, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी (हाई स्कूल स्तर)

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वाहन चालक (तृतीय श्रेणी)	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से हाई स्कूल (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण। (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध/स्थायी वाहन चालन का लाइसेंस। (3) मोटर साइकल, हल्का मोटर यान तथा परिवहन यान चालन हेतु प्राधिकृत करने वाला ड्राइविंग लाइसेंस, नियुक्ति के उपरांत 03 वर्ष की अवधि के भीतर प्राप्त करना होगा। (4) अच्छी द्वि-नेत्रीय दृष्टि होनी चाहिए, पलकों तथा नेत्र गोलकों के रोग से मुक्त होना चाहिए तथा रंगों में अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए।	अनिवार्य (कॉमन) पाठ्यक्रम परीक्षा आयोजित होगी।
2.	भृत्य, चौकीदार, तुलावटी, चैनमेन, प्रोसेस सर्वर, स्वीपर, माली (गार्डनर), केयर टेकर, हमाल, वार्ड बॉय, वार्ड आया, रसोईया/ अर्दली, हेल्पर, एवं अन्य समकक्ष पद	मान्यता प्राप्त मण्डल से हाई स्कूल (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण।	
3.	बुक लिफ्टर, बुक अटेंडेंट, बुक बाईण्डर, बुक असिस्टेंट एवं अन्य समकक्ष पद	मान्यता प्राप्त मण्डल से हाई स्कूल (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण एवं विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अनुभव/अन्य अर्हताएं।	

2/ उपरोक्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के साथ-साथ विभागीय सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित अनुसार अनुभव, प्रशिक्षण, कौशल/प्रायोगिक परीक्षा एवं अन्य अर्हताएं धारित करने के उपरांत ही अभ्यर्थी पदों पर नियुक्ति हेतु अर्ह होंगे। प्रशासकीय विभागों से मांग-पत्र प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिसूचित पदों एवं अन्य समकक्ष पदों की पूर्ति हेतु कॉमन परीक्षा व संकाय विशिष्ट पदों के लिए पदवार संकाय विशिष्ट पाठ्यक्रम परीक्षा आयोजित कर सकेंगे।

3/ इस अधिसूचना के जारी होने के फलस्वरूप उक्त पदों की निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं, प्रशासकीय विभागों के भर्ती नियम में स्वमेव संशोधित माने जाएंगे तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 9-1/2008/1-3, दिनांक 01.02.2013 एवं दिनांक 03.02.2022 तथा परिपत्र क्रमांक RULE/297/2025-GAD-3, दिनांक 24.12.2025 एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

4/ पदों के समूहों का वर्गीकरण केवल शैक्षणिक अर्हता के दृष्टि से किया गया है, इसका वेतनमान से कोई संबंध नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.